hcm ripa
Since 1957

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान खेलकूद नियमावली 2020

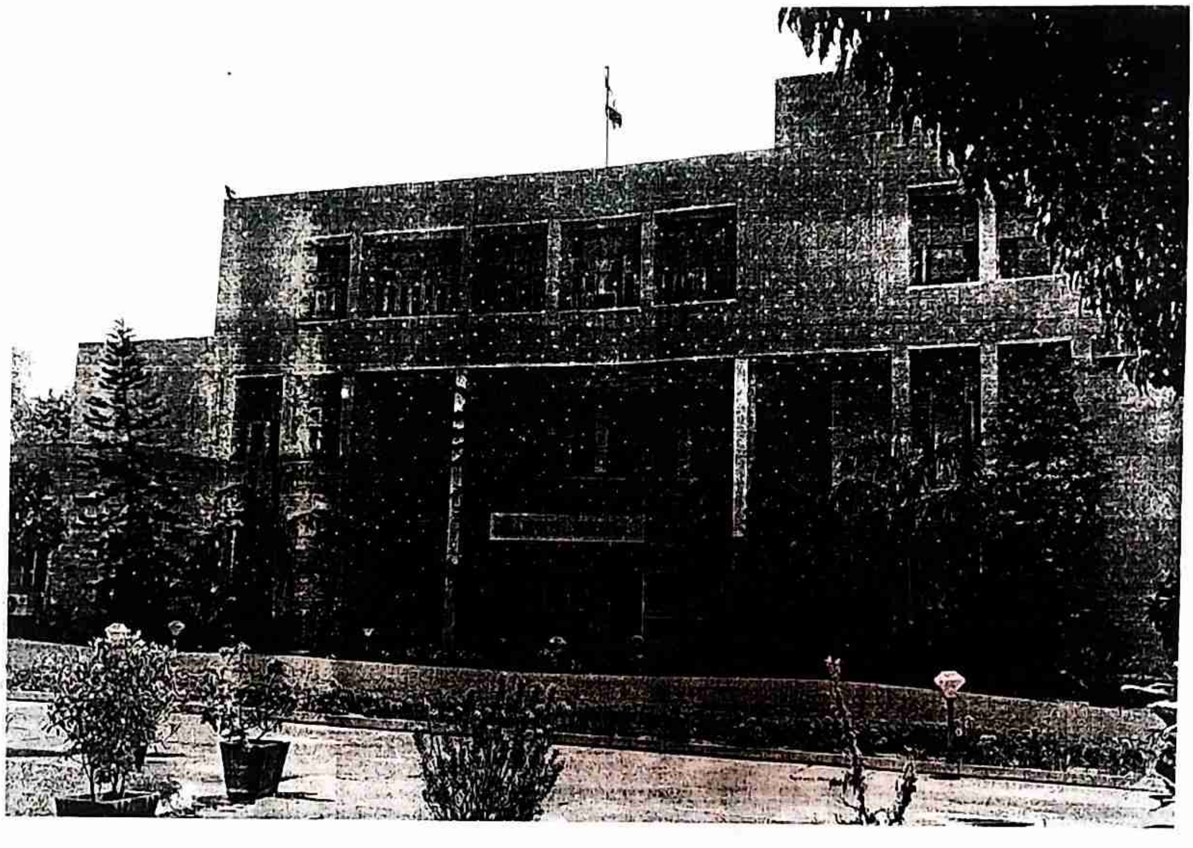

राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान खेलकूद नियमावली 2020

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ :–
   i. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान खेलकूद नियमावली 2020 होगा।
   ii. ये दिशा –निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

2. परिभाषाऐं:–जब तक प्रसंग या विषय द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–
   i. **महानिदेशक** से अभिप्राय महानिदेशक हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर से है।
   ii. **अतिरिक्त निदेशक से अभिप्राय** अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर से है।
   iii. **प्रभारी अधिकारी (खेलकूद)** से अभिप्राय ऐसे अधिकारियों से हे जिन्हें महानिदेशक द्वारा संस्थान की खेलकूद गतिविधियों हेतु नामित किया गया है।
   iv. **संस्थान** से अभिप्राय हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान , उसके अन्य स्थानों पर स्थित केन्द्र एवं उसकी सहयोगी संस्थाऐं यथा प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, सुशासन केन्द्र, आदि है।

3. सदस्यता का वर्गीकरण :–खेलकूद से संबधित सदस्यता निम्नलिखित श्रेणी में होगी:–
   (क) संस्थान में कार्यरत, पूर्व में कार्यरत रहे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा इनके परिवार के सदस्य (जिसमें पति/पत्नी तथा अवयस्क अथवा आश्रित बच्चे सम्मिलित है)
   (ख) जयपुर मे कार्यरत या सेवानिवृत भारत सरकार या राजस्थान सरकार या बोर्ड/ निगम/ राजकीय उपक्रम के अधिकारीगण तथा पूर्व प्रशिक्षणार्थी (एलूमनी)
   (ग) संस्थान के निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी प्रशिक्षणार्थी
   (घ) अन्य

4. खेलकूद की सदस्यता :–
   i. संस्थान में वर्तमान में निम्न खेलों के मैदानों की सुविधा उपलब्ध है :– टेनिस, बैडमिंटन , टेबिल टेनिस, वॉलीबॉल, जिमनेसियम, तरणताल, क्रिकेट,

ii. संस्थान में स्थित वालीबॉल तथा क्रिकेट के मैदान संस्थान में कार्यरत समस्त सदस्य/कार्मिक तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें प्रशिक्षुओं को ही उपलब्ध होगा।

iii. संस्थान के खेलकूद की सदस्यता ग्रहण करने हेतु सदस्यता आवेदन–पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। कार्यरत अधिकारी विभागाध्यक्ष अथवा नियंत्रण प्राधिकारी के हस्ताक्षर (मोहर सहित) करवाकर प्रस्तुत करेंगे। सेवानिवृत कर्मचारी/ अधिकारी आवेदन–पत्र के साथ पेंशन भुगतान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करेंगे। 'क', 'ख', तथा 'ग' श्रेणी की सदस्यता की स्वीकृति अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) तथा 'घ' श्रेणी की सदस्यता की स्वीकृति महानिदेशक, रीपा द्वारा दी जावेगी।

iv. सदस्यता शुल्क संबंधी रियायत अथवा संशय की स्थिति में महानिदेशक रीपा का निर्णय अंतिम होगा।

v. सदस्यता आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

5. सदस्यता की अवधि :–

i. खेलकूद हेतु सदस्यता की अवधि खिलाडी के शुल्क जमा कराने तक ही होगी।

ii. किसी भी सदस्य को खेलकूद की सदस्यता समाप्त करते समय स्वंय के नाम से जारी परिचय–पत्र संस्थान में जमा करवाकर अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6 . सदस्यता शुल्क :–

समस्त खेलकूद का सदस्यता शुल्क <u>मासिक/त्रैमासिक</u> निम्नानुसार होगा:–

श्रेणी	टेनिस (त्रैमासिक)	बैडमिन्टन (त्रैमासिक)	टेबिल टेनिस (त्रैमासिक)	जिमनेशियम (त्रैमासिक)	तरणताल (मासिक)
(क) संस्थान में कार्यरत, पूर्व में कार्यरत रहे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा इनके परिवार के सदस्य (जिसमें पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित है)	800	800	500	1000	500
(ख) जयपुर में कार्यरत या सेवानिवृत भारत सरकार या राजस्थान सरकार या बोर्ड निगम राजकीय–उपक्रम के अधिकारीगण तथा पूर्व प्रशिक्षणार्थी (एलूमनी)	1500	1500	900	3000	1800
(ग) संस्थान के निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें सभी प्रशिक्षणार्थी	—	—	—	—	600
(घ) अन्य	3000	3000	2000	3000	3000

i. यदि कोई सदस्य वर्ष के मध्य में सदस्यता प्राप्त करना चाहे तो उसे त्रैमासिक सदस्यता शुल्क तालिका अनुसार प्रति त्रैमास की दर से जमा करवाना होगा।

ii. समस्त सदस्यों को खेलकूद का परिचय–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

iii. खिलाडियों से प्राप्त सदस्यता शुल्क की रसीद शारीरिक शिक्षा अनुदेशक/रोकडिया रीपा द्वारा जारी की जावेगी। प्राप्त शुल्क से संबधित लेखा रिकार्ड का संधारण शारीरिक शिक्षा अनुदेशक/

iv. किसी भी आवेदनकर्ता को सदस्यता देने या न देने अथवा नवीनीकरण करने या न करने का पूर्ण अधिकार संस्थान को होगा।

7. खेलकूद के मैदान की शर्तें तथा आचरण संहिता :-

खेलकूद के मैदान की शर्तें निम्नानुसार होगी :-

I. खेलकूद मैदान में प्रवेश करने से पूर्व संस्थान द्वारा जारी परिचय–पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।

II. खेलकूद के मैदान में खेलकूद के परिधान पहनकर ही प्रवेश करें यथा टी–शर्ट, नेकर, ट्रेक सूट, स्पोर्टस् शूज आदि।

III. समस्त खेलकूद हेतु स्वयं के ही खेलकूद उपकरण आदि लाने होंगे। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार का खेलकूद उपकरण उपलब्ध नही करवाया जायेगा।

IV. केवल राज्य सेवाओं/अधीनस्थ सेवाओं/ अन्य सेवाओं के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान (ग) श्रेणी के सदस्यों को ही खेलकूद के उपकरण संस्थान द्वारा उपलब्ध करवायें जायेंगे।

V. खेलकूद के मैदान पर अपनी खेलने की बारी का इतजार करें। अनावश्यक पूर्व में खेल रहे खिलाडियों को Disturb (व्याकुल) नही करें। सभी सदस्यों को खेलों का समय आंवटित किया जायेगा जो कि 45 मिनट का होगा तथा अपने दिये गये समय पर ही खेलना होगा।

VI. खेल के मैदान पर लडाई –झगड़ा, तोड–फोड आदि असामाजिक गतिविधि नही करें। अन्यथा तीन माह के लिए खेल से वंचित कर दिया जायेगा। दूसरी बार इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर एक वर्ष के लिए खेल के मैदान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। तीसरी बार असामाजिक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर संस्थान में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जावेगा।

VII. खेल के मैदान पर बिजली के उपकरण को अनावश्यक नहीं जलावें । खेल के तुरन्त बाद बिजली का स्विच बंद कर दें।

VIII. खेल के मैदान को क्षतिग्रस्त नहीं करें। नियमानुसार खेल के लिए जरूरी (non-marking) जूते तथा उपकरण से ही खेलें।

IX. खेल के मैदान पर खेल भावना का परिचय देवें ताकि खेल के मैदान पर खिलाडियों हेतु उचित वातावरण प्राप्त हो सके।

X. संस्थान में कोंचिग (अनुशिक्षण) अनुज्ञेय होगा, परन्तु प्रशिक्षक को भी अन्य श्रेणी की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

XI. खेलकूद की समस्त गतिविधियों का पर्यवेक्षण शारीरिक शिक्षा अनुदेशक /प्रभारी अधिकारी (खेलकूद) द्वारा किया जावेगा।

XII. संस्थान में सप्ताह में रविवार को खेलकूद मैदान बंद रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में भी महानिदेशक महोदय, ह.च.मा. रीपा के निर्देशों के अनुसार खेलकूद मैदान बंद रहेगें।

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

रीपा प्रांगण मे खेलकूद हेतु प्रवेश प्रार्थना–पत्र

मैं स्पोटर्स क्लब की सदस्यता चाहता/चाहती हूँ। फोटो तथा निर्धारित शुल्क सहित विवरण निम्न प्रकार है।

1.	नाम एवं उम्र			
2.	पद एवं विभाग का नाम			
3.	परिवार के सदस्यों की सूची	नाम	उम्र	सम्बन्ध
4.	पता			
5.	मोबाईल नम्बर		ब्लड ग्रुप	
6.	खेल का नाम			

- मैने रीपा खेलकूद संबन्धी नियम और निर्देशो को भली प्रकार से समक्ष लिया है एवं इनका पूर्ण –रूपेण पालन करने के लिये वचनबद्व हूँ
- मै सदस्यता स्वेच्छा से ग्रहण कर रहा/रही हूँ । संस्थान में खिलाडी की किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि के लिये खिलाडी की स्वंय की जिम्मेदारी होगी।
- संस्थान में स्थित खेलकूद परिसर को स्वच्छ रखूँगा एवं अनुशासन का पालन करूगा /करूँगी।
- राज्य/केन्द्र/सार्वजानिक उपकम हेतु विभाग का पहचान–पत्र (आई–डी, सेलैरी स्लिप) प्रस्तुत करना होगा।
- निजी व्यक्तियों को गांरटी के साथ (वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य कार्ड स्थाई पता का कार्ड) प्रस्तुत करना होगा।
- किसी भी आवेदक को खेलकूद हेतु प्रवेश – पत्र जारी करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित होगा।

New Photo + 1 Extra

प्रति हस्ताक्षर मय सील
नियंत्रक अधिकारी

हस्ताक्षर
दिनांक

कार्यालय उपयोग हेतु

निर्धारित शुल्क..प्राप्त कर प्रवेश –पत्र जारी किया।

रसीद संख्या .... शारीरिक शिक्षा अनुदेशक/कैशियर रीपा

नोटः–खेलकूद हेतु निर्धारित शुल्क संस्थान के कमरा न0 313 नेहरू भवन मे जमा करावें।